22.07.2024

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ।
अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट तामिल/अदम तामिल वापस अप्राप्त।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम तहत के अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभियोग पत्र पेश किया गया है।

अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 23.11.2022, 13.01.2023, 10.02.2023, 11.05.2023, 11.07.2023, 23.09.2023, 28.12.2023, 05.03.2024 को न्यायालय के आदेशानुसार आदेशिकायें जारी किये गये हैं।

उक्त आदेशिकायें तामिल अथवा अदम तामिल न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुये हैं। उपरोक्तानुसार अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, किंतु अभियोजन पक्ष अभियुक्त को उपस्थित कराने में असफल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार है अथवा वारण्ट के निष्पादन को विफल करने हेतु स्वयं को छुपा रहा है, जिनके कारण अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त अभियुक्त के संबंध में प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में विचार बाद अभियुक्त महेश कुमार देवांगन की अनुपस्थिति में उसे फरार घोषित किया जाता है। अभियुक्त महेश कुमार देवांगन के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के माध्यम से जारी किया जावे।

प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार देवांगन के फरारी एवं प्रकरण सुरक्षित रखे जाने के टीप अंकित कर प्रकरण व्यवस्थित कर विधिवत् नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(भूपत सिंह साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ0ग0)